संख्या– 195 / सत्तर–7–2023–बी0एड0(16) / 2011

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 **लखनऊः दिनाँकः 17 जुलाई, 2023**

विषयः– निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2023–24) लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर–6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या– 1561 / सोलह–1–2008–5(डब्लयू–48) / 2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या– 2463 / 2008–सोलह–ए–5(डब्लयू–48) / 2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठयक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2023 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुयी।

2– समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या–223 / सत्तर– 7–2020–बी0एड0(16) / 2011, दिनांक 24.06.2020 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250 /– तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0 30,000 /– को पुनर्निर्धारित किए जाने पर सम्यक् विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु शुल्क न बढाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा पूर्व की भॉति बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू0 51,250 /– तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू0 30,000 /– निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

7– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई–मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।

8– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

9– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव।